

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 521 /2021 दिनांक 12.02.2021

श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 03.10.2020 से 16.10.2020 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश।
2. दिनांक 17.10.2020 से 21.10.2020 तक 05 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave)।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/138/2015/ 1126

दिनांक : 12.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 1533 दिनांक 28.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), उदयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार